उदयलाल बनाम रमेश जैन

रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 18/431

11.02.2019	पत्रावली पेश हुई । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 03.05.2018 को अपीलान्टगण की अनुपस्थिति दर्ज कर अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है । अपीलान्ट दिनांक 03.05.2018 को अपने रिश्तेदार के अचानक ही मृत्यु हो जाने से बहार गॉव चला गया था इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था । अपीलान्ट के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने की वजह से वक्त आवाज उपस्थित नहीं आए थे लेकि अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री दशरथसिंह एडवोकेट 12.40 बजे न्यायालय में श्रीमान के समक्ष उपस्थित हो गये थे तब तक अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । अपीलान्ट के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त हो जाने से न्यायालय में श्रीमान् के समक्ष थोडी देरी से पहुचे थे । अपीलान्ट समुचित कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था । अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है फिर भी धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे । अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 03.06.2005 को डिक्री हुआ था । अपील मियाद बाहर पेश की गई थी अपील दिनांक 11.03.2010 को अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज की गई थी ओर उनका रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2012 को खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में पुनरीक्षण याचिका पेश की गई जिसमें दिनांक 16.05.2012 को निर्णय पारित करते हुए 500/– रूपये की कोस्ट पर न्यायहित में पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये गये थे । इस प्रकार अपीलान्ट का जो कृत्य है वह शुरू से ही लापरवाही का रहा है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे । हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पूर्व में ही अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है और माननीय राजस्व मण्डल के आदेश से पुनः नम्बर पर ली गई है इसके उपरान्त अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के उपस्थित नहीं आने से अपील पुनः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है । अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जो हर्जा लिया गया था उसके जमा कराने की रसीद फर्द के साथ पेश की गई है ।

इन तथ्यों के आधार पर 1000/– रूपये के हर्जे पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पेश की गई अपील को न्यायहित में पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं । पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.02.2019 को पेश हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा